Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Udai Pratap College, Varanasi-221002

Resolutions for the Meeting of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Dated 03.02.2026.

A meeting of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Udai Pratap College Varanasi was held on 03 February 2026 in the office Conference Hall.

Members Present

1. **Prof. Dharmendra Kumar Singh – Chairperson**
2. **Prof. A. N. Rai – Member, Governing Body**
3. **Prof. Manoj Prakash Tripathi – Coordinator, IQAC**
4. **Prof. N.P.Singh – Teacher Member**
5. **Prof. Tumul Singh- Teacher Member**
6. **Prof. Devendra Kumar Singh- Teacher Member**
7. **Prof. Abhishek Singh - Teacher Member**
8. **Dr. Deo Narayan Singh - Teacher Member**
9. **Dr. Navin Kumar Jha - Teacher Member**
10. **Dr. Ashwini Kumar Nigam- Teacher Member**
11. **Prof. Rashmi Singh – External Member**
12. **Prof. Archana Sharma- External Member**
13. **Dr. Vijai Kumar – Special Invitee**
14. **Sri Himanshu Shekhar Singh - Member**
15. **Miss Jyoti Pal (M. Sc. I sem topper) - Student member (M.Sc. Physics)**

Agenda No. 1: Confirmation of the minutes of the IQAC meeting held on 17.10.25.
Decision: The proceedings of the previous meeting of IQAC held on 17.10.25 have been confirmed.

Agenda No. 2: Action Taken Report (ATR) on the decisions taken in the previous meeting of IQAC.
Comment: The report has been accepted.

Agenda No. 3: Discussion regarding the calculation of API scores under the category of *Academic and Research Activities* for CAS promotion through the SAMARTH portal **in online mode.**
Decision:

After due deliberation, the IQAC unanimously resolved:

1. To approve the guideline for calculation of API scores under Academic and Research Activities for CAS promotion through the SAMARTH portal. The guideline is attached as **Annexure-1**.
2. To implement the approved guideline with immediate effect for ongoing and future CAS promotion cases.
3. To circulate the approved guideline among all faculty members and concerned committees for clarity and uniform application.
4. To review and update the guideline periodically in line with any future directions issued by the Higher Education Directorate, Uttar Pradesh, and the affiliating university.

The resolution was passed with the consent of all Honourable Members present in the meeting.

Agenda No. 4: Discussion regarding the purchase of Plagiarism Checking Software at the college level.

Decision: After due deliberation, the IQAC unanimously recommended to the purchase of a suitable plagiarism checking software for institutional use covering Ph.D., PG, and UG Project/Dissertation work and decided to place the final decision before the Governing Body for financial approval and sanction.

Agenda No. 5: Discussion on conducting Academic & Administrative Audit (AAA) (Internal and External) of the Departments/college.

Decision: The Honorable members of the IQAC discussed the necessity of conducting Academic and Administrative Audit (AAA) (both Internal and External) of the departments and the college as an essential requirement for NAAC accreditation. After due deliberation, the IQAC unanimously resolved that AAA should be completed in a staggered way. The Academic and Administrative Audit (AAA) at internal level are to be processed in the current academic year. External level Academic & Administrative Audit is to be completed in the next academic year through competent external experts/agencies as per NAAC guidelines. It was also decided to direct all departments and administrative sections to extend full cooperation and submit required documents/data for the smooth conduct of the audit process.

Agenda No. 6: Discussion on conducting Professional Development Programs for non-teaching staff.

Decision: The Honorable Members of the IQAC deliberated upon the need to conduct Professional Development Programmes (PDPs) for non-teaching staff to enhance administrative efficiency, digital competence, service quality, and institutional governance in alignment with NAAC and NEP 2020 guidelines. After due discussion, the IQAC resolved to organize Professional Development Programmes focused on computer learning and digital skills for non-teaching staff in a phased manner during the current year. It is decided to send the matter before the Governing Body for financial approval and sanction of financial grant.

Agenda No. 7: Discussion on the feedback received from students and measures for improvement.

Decision: The analysis of students' feedback was placed before the IQAC. The IQAC resolved to communicate the key findings and suggested corrective actions to the concerned departments and administrative sections. It was also decided to prepare and implement time-bound action plans based on the feedback received and to review the implementation of improvement measures in the subsequent IQAC meeting.

Agenda No. 8: Discussion on the recommendations of the National Agriculture Education Accreditation Board (NAEAB) on B.Sc. (Hons.) Agriculture Accreditation.

Decision: After due deliberation, the IQAC unanimously decided to ensure systematic implementation of all NAEAB recommendations within the stipulated accreditation period. As per requirements in the compliance status, a mid-term review of ICAR accreditation has been made essential to assess progress and identify gaps. IQAC decided to place the requirement of financial support for implementation of NAEAB recommendations before the Governing Body for necessary approval and sanction of funds.

Agenda No. 9: Discussion on NAAC Peer Team Report/Recommendation on College Accreditation.

Decision: The recommendations of NAAC Peer Team have been thoroughly discussed and following decisions have been taken.

1. The college is required to form a committee to contact the eminent alumni of the college and make efforts to generate financial resources.
2. In order to make college disabled friendly, it was decided that properly inclined ramps should be constructed accessible up to first floor of buildings.
3. The unused old hostel buildings should be renovated in a phased manner and utilized effectively for student accommodations.
4. It was resolved to encourage faculty members to undertake more collaborative and interdisciplinary research projects with universities, research institutions, industries, and funding agencies.
5. It was resolved that Wi-Fi connectivity shall be expanded and made accessible to all students across the campus to strengthen digital learning and academic activities.
6. The college resolved to strengthen the Career Counselling and Guidance Cell for providing effective, personalized, and career-oriented counselling, placement support, and competitive examination guidance to students.

Agenda No. 10: Discussion on subscription of Institutional Identity **for registration of faculty members on platforms such as Google Scholar ID, ORCID ID, and SCOPUS ID**.

Decision: State Quality Assurance Cell of Higher Education Department Uttar Pradesh has recommended for registration of faculty members on digital tools such as Google Scholar, ORCID and SCOPUS to be used by researchers to manage their academic identity. After due

deliberation, the IQAC unanimously resolved to approve in principle the subscription and creation of Institutional Email IDs for all faculty members to enable registration on the above research platforms. The process of registration requires a huge amount. So the proposal must be placed before the Governing body for financial approval and sanction for necessary funding towards subscription, setup, and maintenance of institutional email services. Principal is authorized to initiate the process for creation and allotment of Institutional Email IDs to faculty members after approval of the Governing Body.

Agenda No. 11: Discussion on the inclusion of Indian Knowledge System (IKS) through projects, research, seminars, and workshops at the college level and making budgetary provisions **for the promotion of such activities.**

Decision: The inclusion of Indian Knowledge Systems is essential for integrating indigenous knowledge, promoting interdisciplinary research, strengthening value-based education and aligning institutional practices with NEP 2020 and NAAC quality benchmarks. After due deliberation, the IQAC unanimously resolved to integrate Indian Knowledge System (IKS) through student projects, faculty research, seminars, workshops, and other academic activities at the college level. It was decided that, at least one lecture/seminar on IKS should be organised at the departmental level every month. The proposal is to be placed before the Governing body for financial approval and sanction of ₹50,000 per annum towards the promotion of IKS-related activities.

Agenda No. 12: Discussion on organizing Faculty Development Programs (FDPs) for training of teachers.

Decision: Faculty Development Programs are essential for continuous upgradation of teaching skills, academic competence, digital literacy and research orientation of teachers to ensure quality higher education in the college. In the meeting, it was resolved that a proposal should be sent to UGC seeking a permission to run FDP at college level on regular basis, after an approval from governing body. A possible academic collaboration with reputed universities and higher education institutions for organizing such FDPs and resource supports is to be made by the college.

Agenda No. 13: Discussion on subscription/membership of E-book consortia and purchase of books as per the latest NAAC accreditation guidelines, including yearly addition of digital resources to the library.

Decision: Subscription to e-book consortia and regular addition of print and digital resources are essential to meet NAAC quality standards in order to promote digital learning, support research and strengthen the academic infrastructure of the college. After due deliberation, the IQAC unanimously resolved to send the proposal to Governing Body for financial approval and budgetary provision. This proposal includes the subscription/membership of e-book consortia

through DELNET for access to e-books, e-journals, and other digital resources, yearly addition of print and digital resources to the college library

Agenda No. 14: Discussion on the promotion of Industry–Academia linkages, including budget allocation for lectures, field visits, and collaborative workshops.

Decision: Considering the need to promote and strengthen Industry–Academia linkages at the institutional and departmental levels through lectures by industry experts, field visits, internships, and collaborative workshops, the IQAC resolved that all the departments should be encouraged to identify relevant industry partners and initiate collaborative activities beneficial to students and faculty. Also it was decided to place the proposal for budget allocation and financial approval before the Governing Body for organizing Industry–Academia activities.

Agenda No. 15: Discussion on organizing a seminar on "Digital Transformation and Quality Assurance in Higher Education Institutions" under the aegis of IQAC.

Decision: The members of the IQAC fully supported the idea of organization of such a seminar on the topic "Digital Transformation and Quality Assurance in Higher Education Institutions", under the aegis of IQAC at the college level. It was decided to place the proposal for financial approval and budgetary provision before the Governing Body for necessary sanction of funds.

Agenda No. 16: Discussion on the determination of goals/levels under MBGL (Maturity Based Graded Levels) to be achieved in the upcoming NAAC accreditation cycle.

Decision: After due deliberation, the IQAC observed that detailed operational guidelines/clarifications for MBGL are presently not available. Therefore, the IQAC unanimously resolved to defer the decision on selecting the target maturity level under MBGL at present and to await formal guidelines/clarifications from NAAC regarding MBGL implementation and assessment criteria.

Agenda No. 17: Discussion on payment of honorarium/ seating charges of Subject experts, RHEO, Director Nominee and VC Nominee during online CAS promotion.

Decision: After due deliberation, the IQAC unanimously resolved to approve in principle the payment of honorarium/seating charges @ ₹3,000 per expert for Subject Experts, RHEO, Director Nominee, and VC Nominee involved in online CAS promotion and to place the proposal for financial approval and formal sanction before the Governing Body. Also Principal was requested to release the pending payments after approval of the Governing Body.

Coordinator **Chairman**

Annexure-1

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी
(स्वायत्तशासी संस्था)
नैक मूल्यांकित 'A' ग्रेड

Udai Pratap College, Varanasi
(Autonomous Institution)
NAAC Accredited 'A' Grade

College with Potential for Excellence, DST-FIST & DBT-Star College & Accredited B.Sc.(Hons.) Agriculture ICAR (NAEAB)
Mob: 9389270894 Fax- 0542-2282399, email: principalupc@gmail.com, Website: www.upcollege.ac.in

पत्रांकः 745 /आ0 / 2025–26 दिनांकः 13.03.2026

प्रेषकः
प्राचार्य
उदय प्रताप कॉलेज
वाराणसी

प्रतिः
समस्त शिक्षकगण
उदय प्रताप कॉलेज
वाराणसी

विषयः सीएएस प्रोन्नति के लिए एपीआई स्कोर की गणना एवं शैक्षणिक-शोध गतिविधियों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक दिनांक 03.02.2026 के एजेंडा संख्या–3 के अंतर्गत सीएएस (Career Advancement Scheme) प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों की श्रेणी में एपीआई (API) स्कोर की गणना को समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सीएएस प्रोन्नति के लिए एपीआई स्कोर की गणना और शोध पत्रों की गुणवत्ता के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी नवीनतम सजेस्टिव गाइडलाइन और पैरामीटर के अनुपालन में आइक्यूएसी द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित सुझावात्मक दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं सम्बद्ध समितियों के मध्य प्रसारित किया जाए, जिससे सीएएस आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता एवं एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इस क्रम में संलग्न सुझावात्मक दिशा-निर्देश सभी शिक्षकों की जानकारी एवं अनुपालन हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने शैक्षणिक एवं शोध कार्यों का स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) कर लें, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप इन दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

अतः सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः
सीएएस प्रोन्नति हेतु एपीआई स्कोर गणना एवं शैक्षणिक-शोध गतिविधियों से संबंधित सुझावात्मक दिशा-निर्देश।

भवदीय

प्राचार्य

PRINCIPAL
UDAI PRATAP COLLEGE
VARANASI

प्रतिलिपिः
1. संयोजक, फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल – विज्ञान संकाय
2. संयोजक, फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल – कला संकाय
3. संयोजक, फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल – वाणिज्य संकाय
4. संयोजक, फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल – कृषि संकाय
5. संयोजक, फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल – शिक्षा संकाय
6. समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)
7. कार्यालय प्रति

एजेंडा संख्या-3

विषयः सीएएस(CAS) प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों की श्रेणी में एपीआई स्कोर की गणना को समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।

निर्णय

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात आईक्यूएसी ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये-

सीएएस प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों के अंतर्गत एपीआई स्कोर की गणना हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्पष्टता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन दिशा-निर्देशों को सभी शिक्षकों तथा सम्बद्ध समितियों के मध्य प्रसारित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप इन दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

यह प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों की सहमति से पारित किया गया।

फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC) एवं शिक्षकों के लिए एजेंडा संख्या-3 के अनुसार सुझावात्मक दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों के शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता तथा विभिन्न मदों में अर्जित एपीआई स्कोर की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि शोध-पत्रों, पुस्तकों, पुस्तक अध्यायों, पुरस्कारों एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में अर्जित अंक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

प्राप्त सुझावों एवं परामर्शों के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा सभी शिक्षकों तथा फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल((FQAC) के लिए सुझावात्मक दिशा-निर्देश जारी किये जाएँ, जिससे शिक्षक अपनी आगामी सीएएस प्रोन्नति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व स्व-मूल्यांकन कर सकें तथा प्रोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई से बचा जा सके।

1.कोई शिक्षक सेमिनार/ कॉन्फ्रेंस/ सम्मेलन/ कार्यशाला/फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP)/ओरिएंटेशन कोर्स/रिफ्रेशर कोर्स में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रतिभाग करेगा। उक्त अवधि के दौरान अवकाश/ ड्यूटी लीव इसी उद्देश्य से उसे अवश्य लेना होगा।

अवकाश सम्बन्धी रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित की जायेगी-

कार्यालय अधीक्षक (प्राचार्य कार्यालय) तथा व्यक्तिगत पत्रावली-लिपिक द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

यह स्पष्ट रूप से सत्यापित होना चाहिए कि शिक्षक ने उक्त तिथियों में अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात ही कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था तथा उसके पूर्ण होने के पश्चात इसकी सूचना उसने महाविद्यालय को प्रदान किया है।

CAS आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(a) आमंत्रण पत्र (ई-मेल या अन्य माध्यम से)

(b) कार्यक्रम की कार्यवाही (Proceedings), यदि कोई हो

(c) प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र, जिसमें सेमिनार/कॉन्फ्रेंस में शोध-पत्र प्रस्तुत करने का अवश्य उल्लेख हो

(d) सेमिनार/कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत शोध-पत्र

2. शोध-पत्रों की गुणवत्ता

यूजीसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No.1-1/2018 (CARE/Journal) दिनांक 16 जुलाई 2025 में पीयर-रिव्यूड जर्नल के चयन हेतु मानदंड निर्धारित किये गये हैं तथा इस सूचना के Suggestions for HEIs के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को इन मानदंडों के अनुरूप आन्तरिक समितियों के गठन पर बल दिया गया है।

शोध-पत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC) का गठन किया जा चुका है।

मान्य शोध पत्रिकाएँ

(A)सामान्यतः (Generally) निम्न लिखित डेटाबेस में सूचीबद्ध जर्नल/पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र स्वीकार किये जा सकते है:

(i) स्कोपस (Scopus) सूचीबद्ध जर्नल

(ii) वेब ऑफ साइंस (Web of Science) सूचीबद्ध जर्नल

(iii) एससीआई (SCI) सूचीबद्ध जर्नल

(iv) एससीआई एक्सपैंडेड (SCI Expanded) में सूचीबद्ध जर्नल

(v) सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स (SSCI) में सूचीबद्ध जर्नल

(vi) आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स में सूचीबद्ध जर्नल

(उपरोक्त डेटाबेस और साइटेशन इंडेक्स जर्नल में शोध-पत्र यूजीसी के सजेस्टिव गाइडलाइन के लगभग सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, अतः सामान्यतः प्रथम दृष्टया इनमें प्रकाशित शोध-पत्र मान्य होंगे)

(B)फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC) और महाविद्यालय स्तर की इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित डेटाबेस में स्वीकृत शोधपत्र यूजीसी द्वारा निर्धारित सजेस्टिव गाइडलाइन के मानकों पर सही पाये जाने के बाद ही मान्य होंगे-

(i) गूगल स्कॉलर सूचीबद्ध जर्नल

(ii) यूजीसी केयर सूची (अंतिम संस्करण)

(iii) इंडियन साइटेशन इंडेक्स

(iv) भारतीय भाषाओं की शोध पत्रिकाएँ

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्र सामान्यतया (Generally) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त डेटाबेस के अतिरिक्त प्रकाशित शोध पत्रों को NAAC तथा NIRF मूल्यांकन में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।सभी प्राध्यापकों को अवगत कराया जाता है कि वे ऐसे डेटाबेस / इंडेक्स जर्नलों में ही प्रकाशन करने का कष्ट करें जो NIRF और NAAC हेतु भी उपयोगी हों।

3. संकाय-वार शोधपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुझाव

(i) विज्ञान संकाय

CAS प्रोन्नति में विषय विशेषज्ञों द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर का प्रश्न उठाया जाता रहा है। अतः प्राध्यापक अपने शोध-पत्र क्लैरिवेट/थॉमसन रॉयटर्स इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नलों में ही प्रकाशित करें क्योंकि क्लैरिवेट/थॉमसन रॉयटर्स द्वरा जारी इम्पैक्ट फैक्टर ही UGC द्वारा मान्य हैं।

अन्य जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्रों की गुणवत्ता यूजीसी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC) और महाविद्यालय स्तर की इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) की जाँच के पश्चात ही स्वीकार किये जाएंगे।

(ii) कृषि संकाय हेतु सुझाव

कृषि संकाय के प्राध्यापकों से आग्रह है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप सामान्यतः अपने शोध-पत्र क्लैरिवेट/थॉमसन रॉयटर्स इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नलों में या ऐसे जर्नलों में प्रकाशित करें जिनकी NAAS रेटिंग 6 या 6 से अधिक हो।

NAAS रेटिंग 6 से कम में प्रकाशित अन्य जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्रों की गुणवत्ता यूजीसी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC) और

महाविद्यालय स्तर की इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) की जाँच के पश्चात ही स्वीकार किये जाएंगे।

(iii) कला / वाणिज्य / शिक्षा संकाय हेतु सुझाव

प्रकाशन सामान्यतः स्कोपस जर्नल, सोशल साइंस सिटेशन इंडेक्स (SSCI) तथा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स अथवा प्रतिष्ठित भारतीय सूचीबद्ध जनरल में होना चाहिए।

यूजीसी केयर सूची (अंतिम सूची) तथा अन्य जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्रों की गुणवत्ता यूजीसी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (FQAC) और महाविद्यालय स्तर की इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) की जाँच किये जाने के पश्चात ही स्वीकार किए जाएंगे।

4. एपीआई स्कोर की गणना

एपीआई स्कोर की गणना यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा मानदंडों के अनुसार की जायेगी।

5. पुस्तक अध्याय

एक ISBN वाली पुस्तक में अधिकतम 2 अध्याय पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

यदि सम्पादक उसी पुस्तक में अध्याय लिखता है तो उसे केवल सम्पादक श्रेणी अथवा चैप्टर के लेखक के रूप में जो अधिकतम अंक हो वह प्रदान किया सकेगा।

स्व-प्रकाशित (Self Published) संपादित पुस्तकें या अध्याय स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रकाशक राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक/पेशेवर प्रकाशक होना चाहिए।कोई भी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक तभी मानी जायेगी जब प्रतिष्ठित विदेशी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित हो।प्रतिष्ठित शैक्षणिक/पेशेवर प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कुछ विदेशी विद्वानों के चैप्टर यदि है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रकाशन माना जा सकता है।

6. पॉलिसी डॉक्यूमेंट

एपीआई स्कोर केवल उन्हीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पर प्रदान किया जायेगा जो निम्न संस्थाओं से सम्बद्ध हों-

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ

(ii) भारत सरकार या उसके विभाग

(iii) राज्य सरकार या उसके विभाग

(iv)भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संस्तुत

7. ई-कंटेन्ट विकास

ई-कंटेन्ट विकास के अंतर्गत अंक तभी प्रदान किये जायेंगे जब शिक्षक द्वारा निर्धारित मॉड्यूल सम्बन्धी सभी अर्हताएँ पूर्ण की गयी हों।

8. पुस्तक प्रकाशन

पुस्तक का प्रकाशक भारत का प्रतिष्ठित अकादमिक प्रकाशक होना चाहिए। कोई भी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक तभी मानी जायेगी जब प्रतिष्ठित विदेशी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित हो।स्व-प्रकाशित (Self Published) पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रोजेक्ट वर्क

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में दोनों वर्षों में अलग-अलग प्रोजेक्ट वर्क रखने के स्थान पर इसे अंतिम सेमेस्टर में एक संयुक्त प्रोजेक्ट कोर्स के रूप में रखा जाये।

अंतिम सेमेस्टर में 16 क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट कोर्स तथा 4 क्रेडिट का एक कोर्स निर्धारित किया जाये। अन्य कोर्स पूर्व के तीन सेमेस्टर में पूर्ण किये जायें। इसे विद्या परिषद की अगली बैठक में रखकर के इस पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

10. क्लोन जर्नल

किसी प्रतिष्ठित जर्नल के क्लोन (Cloned) जर्नल में प्रकाशित शोध-पत्र मान्य नहीं होंगे।

11. पीयर-रिव्यू शोध पत्र का सत्यापन

यदि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC)/फैकल्टी लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल(FQAC)/चयन समिति के विशेषज्ञों द्वारा पीयर-रिव्यू प्रक्रिया के सत्यापन की मांग की जाती है तो इस हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक को पिछले 3 वर्ष में प्रकाशित शोध-पत्र हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(i) शोध पत्र के प्रकाशन हेतु भेजने संबंधी कम्युनिकेशन लेटर

(ii) पीयर-रिव्यू रिपोर्ट (Referee Report)

(iii) संशोधन रिपोर्ट (Revision Report) यदि कोई हो

(iv) शोध-पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने का ई-मेल / पत्र

(v) शोध पत्र के प्रकाशित किए जाने संबंधी पत्र/ई -मेल

12.अवॉर्ड(Award)

सीएएस (CAS)के लिए यूजीसी/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/वैधानिक परिषद या प्रतिष्ठित शैक्षणिक/प्रोफेशनल संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए अवार्ड/पुरस्कार ही मान्य होंगे।अवॉर्ड/पुरस्कार हेतु प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये अवॉर्ड शिक्षण, शोध, नवाचार या शैक्षणिक उत्कृष्टता से संबंधित हो सकते है।

जैसे- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय एकेडमी द्वारा दिया गया बेस्ट टीचर अवार्ड/बेस्ट रिसर्च पेपर/बेस्ट पब्लिकेशन/बेस्ट प्रेजेंटेशन/बेस्ट यंग साइंटिस्ट/बेस्ट यंग फैकल्टी अवॉर्ड तथा सरकारी मान्यता प्राप्त अकादमी द्वारा दिए गए एक्सीलेंस अवॉर्ड मान्य होंगे।

प्राइवेटसंस्थाओं/एनजीओ/ट्रस्ट/ सोसाइटी द्वारा सीधे नामांकन आधारित अवॉर्ड सीएएस के लिए मान्य नहीं होंगे; ये अवार्ड केवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के रूप में देखे जाएंगे। सरकार से बिना मान्यता प्राप्त स्वघोषित संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवॉर्ड भी सीएएस के लिए अमान्य होंगे।

13.फेलोशिप (Fellowship):

प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिष्ठित शैक्षिक और शोध या अकादमिक योगदान को मान्यता देने वाली फेलोशिप मान्य होगी।

जैसे-यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर आदि द्वारा प्रदत्त फेलोशिप।

नोट:

सभी शिक्षक अपने सीएएस आवेदन को समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार स्व-मूल्यांकन करने के उपरांत ही समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने का कष्ट करें।

PRINCIPAL
UDAI PRATAP COLLEGE
VARANASI

Coordinator
Internal Quality Assurance Cell
Udai Pratap Autonomous College
Varanasi-221002